संख्या – /XXII/2007–4(2)/2005

प्रेषक,

विनोद शर्मा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

महानिदेशक,
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

सूचना अनुभाग:

देहरादून दिनांक 31 मार्च ,2008

विषयः–हरिद्वार में पुरानी कचहरी में नवनिर्मित प्रेस क्लब भवन के विस्तृत आगणन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2441/सू0एवंलो0वि0(प्रेस)–प्रेस क्लब/14/2001 दिनांक 30 नवम्बर, 2008 एवं जिला सूचना अधिकारी, हरिद्वार के पत्र संख्या–422/सू0वि0/प्रेस क्लब भवन/2007–08/दिनांक 23 फरवरी, 2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हरिद्वार प्रेस क्लब के भवन निर्माण संबंधी पुनरीक्षित आगणन हेतु टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि रूपये 30.00 लाख (रूपये तीस लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये एवं उक्त निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2005–06 में शासनादेश संख्या–335/XXII/2005 दिनांक 20 दिसम्बर, 2005 द्वारा अवमुक्त की गयी रूपये 10.00 लाख (रूपये दस लाख) की धनराशि को घटाते हुये उक्त निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जाने वाली अवशेष धनराशि रूपये 20.00 लाख(रूपये बीस लाख मात्र) के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2007–2008 में रूपये 11.75 लाख (रूपये ग्यारह लाख पिचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि आहरित कर व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उक्त स्वीकृति धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृति की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कडाई से अनुपालन किया जाय।

3–आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृति नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृति करालें।

4–कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है।

5–एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।

6–कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

7–निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व मानकों एवं स्टोर पर्चेज नियमों का पालन कड़ाई से किया जाए।

8–कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए, तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

9–निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।

10–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनदेश सं0 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.5.06 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

11–उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–2008 के अनुदान संख्या–14 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2220–सूचना तथा प्रसार–60–अन्य–103–प्रेस सूचना सेवायें–03–उत्तराखण्ड में प्रेस यलयों की स्थापना–00–24–बृहत निर्माण कार्य मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

12–उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 पत्र सं0–1625/वित्त अनु0–5/2008, दिनांक 26 मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनोद शर्मा)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 25/XXII/2007–4(2)/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 सूचना मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
6– जिला सूचना अधिकारी, हरिद्वार।
7– वित्त अनुभाग–5
8– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0बल्दिया)
उपसचिव